प्रेषक,

शिवराज कुमार यादव,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

खाद्य प्रसंस्करण अनुभाग **लखनऊः दिनांकः 18 फरवरी, 2025**

विषयः **वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन (पीएम एफएमई) योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में Sharable componants (के.60/रा.40) हेतु अवमुक्त केन्द्रांश रू0-3800.00 लाख के सापेक्ष अनुदान सं0-10 के अन्तर्गत संगत केन्द्रांश रू0-3800.00 लाख एवं राज्यांश रू0-2533.33 लाख तथा Non-Sharable componants (के.100/रा.00) हेतु अवमुक्त केन्द्रांश रू0-1200.00 लाख के सापेक्ष संगत केन्द्रांश रू0-1200.00 लाख अवमुक्त कराने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-102/बजट/2024-25, दिनांक-15.01.2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2. इस संबंध में मुझे यह **कहने का निदेश हुआ है कि** अनुदान सं0-10 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2401-119-01-0104-प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (के.60/रा.40-के.) के मानक मद 16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान में प्राविधानित धनराशि रू0-2752.59 लाख 100 प्रतिशत केन्द्रांश अर्थात् Non-Sharable componants की है, जिसके सापेक्ष केन्द्रांश रू0-800.00 लाख अवमुक्त कराया जा रहा है तथा अनुदान सं0-10 के अन्तर्गत ही लेखाशीर्षक-4401-119-01-0102-प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (के.100/रा.00-के.) की योजना के मानक मद 26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र में अवमुक्त करायी जा रही धनराशि रू0-400.00 लाख भी Non-Sharable componants की है, इस प्रकार Non-Sharable componants हेतु केन्द्रांश रू0-1200.00 लाख तथा Sharable componants हेतु केन्द्रांश रू0-3800.00 लाख एवं संगत राज्यांश रू0-2533.33 लाख **की प्रशासकीय स्वीकृति के साथ आपके निवर्तन पर रखते हुए निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय** किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय राज्य सरकार तथा भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना के अनुसार योजना की गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
2. स्वीकृति की जा रही धनराशि का व्यय उसी पद/कार्यों में किया जायेगा जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। अन्य किसी मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।
3. निदेशक/वित्त नियंत्रक द्वारा योजनान्तर्गत केन्द्रांश अवमुक्त किये जाने विषयक भारत सरकार के पत्र दिनांक 15.01.2025 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4. प्रस्ताव में आंकडो की शुद्धता का दायित्व निदेशक/वित्त नियंत्रक का होगा।

.....2/-

http://shasanadesh.up.gov.in

5. स्वीकृत धनराशि का व्यय नियमानुसार आवंटित परिव्यय सीमा तक ही किया जायेगा।
6. अतिरिक्त धनराशि की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।
7. प्रस्तावित वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी, यह निदेशक/वित्त नियंत्रक का उत्तरदायित्व होगा।
8. जिन मामलों में उ.प्र. बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति निदेशक/वित्त नियंत्रक द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।
9. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
10. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप सं0-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04.03.2024 एवं इस संबंध में समय-समय पर निर्गत अन्य दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्षरू 2401001190104 (प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (के.60/रा.40-के.))

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	010	2401001190104 प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (के.60/रा.40-के.)	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	8,00,00, 000 (रुपये आठ करोड़ मात्र)
2	010	2401001190104 प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (के.60/रा.40-के.)	27 सब्सिडी	36,66,40, 000 (रुपये छत्तीस करोड़ छियासठ लाख चालीस हजार मात्र)
3	010	2401001190104 प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (के.60/रा.40-के.)	42 अन्य व्यय	1,27,10, 000 (रुपये एक करोड़ सत्ताईस लाख दस हजार मात्र)
4	010	2401001190104 प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (के.60/रा.40-के.)	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	6,50, 000 (रुपये छह लाख पचास हजार मात्र)
	कुल			**46,00,00,000** **(रुपये छियालीस करोड़ मात्र)**

लेखाशीर्षः 2401001198904 (प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	010	2401001198904 प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना	27 सब्सिडी	24,44,27,000 (रुपये चौबीस करोड़ चौवालीस लाख सत्ताईस हजार मात्र)
2	010	2401001198904 प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना	42 अन्य व्यय	84,72,000 (रुपये चौरासी लाख बहत्तर हजार मात्र)

.....3/-

http://chhasandesh.up.gov.in

3	010	2401001198904 प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	4,34,000 (रुपये चार लाख चौंतीस हजार मात्र)
	कुल		**25,33,33, 000 (रुपये पच्चीस करोड़ तैंतीस लाख तैंतीस हजार मात्र)**	

लेखाशीर्षर- 4401001190102 (प्रधानमन्त्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (के.100/रा.0-के))

	अनुदान संख्या	**लेखा शीर्षक**	**मानक मद**	**स्वीकृत धनराशि**
1	010	4401001190102 प्रधानमन्त्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (के.100/रा.0-के)	26 मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	4,00,00,000 (रुपये चार करोड़ मात्र)
	कुल		**4,00,00,000 (रुपये चार करोड़ मात्र)**	
महायोग		**75,33,33,000 (रुपये पचहत्तर करोड़ तैंतीस लाख तैंतीस हजार मात्र)**		

के नामे डाला जायेगा।

-3यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E--337-1X--25-2024दिनांक 2025-2-17:मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(शिवराज कुमार यादव)
संयुक्त सचिव।

संख्या- /2024/710(1)/58-2-2024, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -:

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, सत्यनिष्ठा भवन, 15, थार्न हिल रोड, प्रयागराज ।
(3) संयुक्त सचिव, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली।
(4) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(5) वित्त नियंत्रक/आहरण एवं वितरण अधिकारी, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ0प्र0 लखनऊ।
(6) वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
(7) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
(8) वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(9) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शिवराज कुमार यादव)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in